



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-226

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 281151 दिनांक 06/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Gokul Devi W/o LT. Govind Narayan एवं Giriraj Sharma S/o LT. Govind Narayan Sharma एवं Rukmani Vyas D/o LT. Govind Narayan एवं Sushila Devi D/o LT. Govind Narayan एवं Kamlesh Sharma S/o LT. Govind Narayan	गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र स्व. रामेश्वर लाल शर्मा	9/DO/41	627.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block- D	Name Transfer	जविप्रा की योजना रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या 9/डीओ/41 क्षेत्रफल 627 व.मी. की लीजडीड दिनांक 02.07.2012 को गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र स्व. रामेश्वर लाल शर्मा के नाम से जारी किया गया है। दिनांक 27.05.2024 को मूल भूखण्ड स्वामी श्री गोविन्द नारायण शर्मा का निधन हो गया। आवेदकगण द्वारा गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र स्व. रामेश्वर लाल शर्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं वारिसान का शपथ पत्र की प्रति संलग्न कर नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

किया गया है।
आवेदकगण द्वारा
संलग्न शपथ पत्र
अनुसार गोविन्द
नारायण शर्मा के
वारिसान
निम्नानुसार है:-
1. गोकुल देवी
पत्नी स्व. गोविन्द
नारायण शर्मा 2.
गिरीराज शर्मा पुत्र
स्व. गोविन्द
नारायण शर्मा 3.
रुकमणी व्यास
पुत्री स्व. गोविन्द
नारायण शर्मा 4.
सुशीला शर्मा पुत्री
स्व. गोविन्द
नारायण शर्मा 5.
कमलेश शर्मा पुत्र
स्व. गोविन्द
नारायण शर्मा है।
जोन कार्यालय में
उपलब्ध रिकॉर्ड
अनुसार प्रश्नगत
भूखण्ड की मूल
पत्रावली जविप्रा में
आग लगने के
कारण नष्ट हो
गयी है नोट शीट
की प्रति संलग्न
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Gokul Devi W/o LT. Govind Narayan एवं Giriraj Sharma S/o LT. Govind Narayan Sharma एवं Rukmani Vyas D/o LT. Govind Narayan एवं Sushila Devi D/o LT. Govind Narayan एवं Kamlesh Sharma S/o LT. Govind Narayan को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।